

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

वन वनाधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
प्रभागीय वनाधिकारी